

न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर
 (पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

मो०दु०दा० क्र.-82/2017

संस्थित दिनांक -01.05.2012

Filling No. MACC/221/2017

रमेश चौधरी आत्मज रामनरेश चौधरी उम्र 32 वर्ष जाति पंवार
 निवासी-वार्ड नंबर 6 जानपुर पो.जानपुर थाना मलाजखण्ड
 तहसील बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०) - - - - **आवेदक।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1- गिरजाप्रसाद उर्फ रिकू आत्मज वी.पी. विश्वकर्मा ड्राईवर
 वर्तमान निवास-धमधा नाका दुर्ग तहसील जिला दुर्ग (छ०ग०)
 द्वारा:-मेसर्स एन.सी. नाहर, मालवीय नगर दुर्ग (छ०ग०)
- 2- मेसर्स एन.सी. नाहर, डम्पर ओनर मालवीय नगर दुर्ग (छ०ग०)
- 3- युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजनल कार्यालय
 कृष्णा काम्पलेक्स कचहरी चौक रायपुर (छ०ग०)

- - - - - **अनावेदकगण**

=====

आवेदक द्वारा श्री संतोष बनवाले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 1, 2 पूर्व से अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री वाय.डी. टेभरे अधिवक्ता।

=====

- / / / **अधिनिर्णय** / / / -

(आज दिनांक 13 जनवरी 2018 को घोषित)

1. आवेदक ने अनावेदकगण के विरुद्ध दिनांक 17.12.2008 को 03:30 दोपहर बजे ग्राम सलघट एवं गर्राटोला के पास लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक सी. जी. 7728 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से आ रही बस को टक्कर मारने उत्पन्न हुई क्षतिपूर्ति हेतु यह मोटर दुर्घटना दावा पेश किया है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि डम्पर क्रमांक सी.जी. 07-सी-7728 का अनावेदक क्रमांक 2 पंजीकृत स्वामी है, अनावेदक क्रमांक 1 अनुज्ञप्तिधारी चालक है। उक्त वाहन अना.क्र. 3 के पास बीमित है।

3. आवेदन पत्र का सार यह है कि घटना दिनांक 17.12.2008 को आवेदक, अनावेदक क्रमांक 2 के डम्पर सी.जी. 07-सी-7728 में कुली/हमला का काम करता था, उक्त डम्पर में मिक्चर प्लांट से डामर लगी गिट्टी, सादी गिट्टी चढ़ाने उतारने हेतु बैठता आता-जाता था। अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त डम्पर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए विपरीत दिशा में आती हुई बस को जोर से ठोस मार दिया जिससे केबिन में बैठे आवेदक को डैशबोर्ड, बिंड स्क्रीन जोर से टकराया जिससे आवेदक गिर गया, दायीं आंख में गंभीर चोट आयी, माथे एवं सिर में घाव हो गया, 5 पसलियां फ्रैक्चर हो गईं, दाएं हाथ में चोट आयी, सिर में चोट आयी जिससे आवेदक केबिन में बेहोश हो गया। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में लेख कराए जाने पर अपराध क्रमांक 85/2008 अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

4. उपचार के दौरान एक्स-रे, बैंडेंज, विशेष आहार हेतु 50,000/-रु., उपचार के दौरान एक वर्ष तक होने वाली व्यवसायिक क्षति हेतु 70,000/-रु., एक आंख क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई क्षति 5,00,000/-रु., शारीरिक मानसिक क्लेश के मद में 25,000/-रु., भविष्य में उपचार के मद में 50,000/-रु. इस प्रकार कुल 6,95,000/-रुपए तथा 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने की याचना की है।

5. अनावेदक क्रमांक 1 ने उत्तर पेश नहीं किया है। अनावेदक क्रमांक 2 ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के समस्त अभिकथनों को पदवार इंकार किया है। विशिष्ट कथन कर पद क्रमांक 1 एवं 2 में लेख अभिकथन का सार में लेख किया है कि आवेदक का आवेदन प्रथमदृष्ट्या 166 मो.या.अधि. के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, न ही न्यायालय में संचालनीय है, आवेदक का आवेदन श्रम न्यायालय द्वारा विचारणीय है,

अनावेदक क्रमांक 2 के अधीन कर्मचारी नहीं है, क्षतिधन प्राप्त करने मिथ्या आवेदन पेश किया है, अना.क्र. 2 के स्वामित्व का वाहन डम्पर सी.जी. 07-सी. 7728 घटना दिनांक को अना.क्र. 3 के पास बीमित थी, जिसकी पॉलिसी क्रमांक 190500/44/0807 अवधि 14.09.2008 से 13.09.2009 तक है। घटना दिनांक को अनावेदक के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति/लाईसेंस थी, अन्य दस्तावेज वैध थे, क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कंपनी दायित्वाधीन है।

6. अनावेदक क्रमांक 3 ने उत्तर पेश किया आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 13 तक के अभिकथनों को पदवार इंकार कर लेख किया है कि आवेदक दुर्घटना के समय 32 वर्षीय स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क का नवयुवक था इंकार किया है, आवेदक अपने परिवार की 2 एकड़ कृषि भूमि में 3 माह कृषि कार्य से 15,000/-रुपए फसल अर्जित करता था, शेष 9 माह ट्रक में हमाली का कार्य कर 6,000/-मासिक आय अर्जित कर अपना एवं परिवार का पालन पोषण करता था, अना.क्र. 2 हाईवा डम्पर क्र. सी.जी. 07 सी 7728 का स्वत्वाधिकारी है, दुर्घटना दिनांक को अना.क्र. 1, अना.क्र. 2 कासेवक एवं वेतनभोगी कर्मचारी है, दुर्घटना दिनांक को अना.क्र. 3 की बीमा कंपनी में डम्पर बीमाकृत था। यह इंकार किया है कि घटना दिनांक को अना.क्र. 2 के सेवक अना.क्र. 1 द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक डम्पर चालान के कारण घटित हुई है, अना.क्र. 3 की बीमा कंपनी में दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बीमित था इंकार किया है, आवेदक प्रतिकर 6,95,000/-रुपए पाने का अधिकारी होना इंकार किया है।

7. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट है कि डम्पर का ब्रेक एवं स्टेयरिंग फेल था, दुर्घटना अना.क्र. 1 की लापरवाही से घटित हुई है, दुर्घटना का कारण एक्ट आफ गाड था, वायकेरियस लायबिलिट के अंतर्गत नहीं है। आवेदक अना.क्र. 3 से प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं है, आवेदक ने म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 220 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रारूप 54 के अनुसार आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया है, आवेदक को बीमा प्रमाण पत्र

आर.सी. बुक, परमिट, फिटनेस, अना.क्र. 3 को उपलब्ध कराना था, अना.क्र. 3 को धारा 147, 149 मो.या.अधि. एवं धारा 170 मो.या.अधि. में समस्त बचाव प्रदान किए जाने योग्य है, धारा 158/6 मो.या.अधि. 1988 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, अना.क्र. 3 के विरुद्ध दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

आवेदन के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 17.12.2008 को दिन के करीब 03:30 बजे पुलिस थाना बिरसा जिला बालाघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम सलघट एवं गर्गा गर्गाटोला के लगभग बीच पुलिया के पास अना. क्र. 1 ने अना. क्र. 2 के स्वामित्व के वाहन हाइवा डम्पर (टिप्पर) क्र. सी.जी. 07. सी.-7728 का उतावलेपन से चालन कर विपरीत दिशा से आती हुई रायपुर-सिवनी बस को डम्पर के सामने से ठोस मार दिया ?	प्रमाणित
2	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को स्थायी निःशक्तता कारित हुई ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या उक्त दुर्घटना के वक्त अना. क्र. 1 या अना.क्र. 2 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों को भंग किया गया ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा पृथकतः दुर्घटना क्षतिपूर्ति 6,95,000/- (छः लाख पंचानबे हजार) रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है ?	कंडिका 20 के अनुसार
5	अनुतोष एवं वाद व्यय ?	वाद स्वीकृत, कंडिका 21 अ, ब के अनुसार देय

वादप्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

8. रमेश चौधरी (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक के दो माह पूर्व से अना.क्र. 2 के डम्पर क्रमांक सी.जी. 07. सी. 7728 में हमाल का काम करता था, डम्पर में मिक्सर प्लांट से डामर लगी गिट्टी, सादी गिट्टी चढाने-उतारने हेतु डम्पर

में बैठकर आता जाता था। दिनांक 17.12.2008 को उक्त डम्पर में डाम कर मिक्सर लाने 03:00 बजे दोपहर जानपुर से दमोह रवाना हुए। तत्समय अना.क्र. 1 उक्त डम्पर का चालन कर रहा था, लोकमार्ग सलघट गर्राटोला के बीच अना.क्र. 1 गिरजाप्रसाद ने डम्पर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए विपरीत दिशा से आ रही थी रायपुर-सिवनी बस को सामने से जोर से ठोस मार दिया, केबिन में बैठे आवेदक को डेस बोर्ड, बिंड स्क्रीन से जोर से टकराया, वह गिर गया, बायीं आंख में गंभीर चोट आयी, आंख, सिर में घाव हो गया, 5 पसलियां फैंक्चर हो गई।

9. न्यायालय के समक्ष कराए गए मुख्य कथन के पद क्रमांक 7 में दावे के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए.2, मौकानक्शा प्र.ए.3, वाहन मैकेनिकल परीक्षण प्र.ए.4, ओ.पी.डी. टिकिट प्र.ए.7, ओ.पी.डी. पर्ची प्र.ए.8 प्रदर्शित है, का अध्ययन किया गया।

10. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण से वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निराकरण हेतु अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं होता है।

11. प्र.ए. 3 नक्शा मौका के अनुसार दुर्घटनास्थल मेन रोड गर्राटोला सलघट का होना लेख है, का खंडन नहीं है। प्र.ए. 5 संपत्ति जप्ती पत्र के अनुसार वाहन डम्पर क्रमांक सी.जी. 07 सी. 7728 मय दस्तावेज के अनावेदक क्रमांक 1 से गिरजाप्रसाद से पुलिस के द्वारा जप्त किए गए हैं, की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्र.ए. 2 अपराध कायमी दिनांक 17.12.2008 की है जो उपचार पश्चात् रिपोर्ट लेख कराई है।

12. लक्ष्मी प्रसाद चौधरी (आ.सा.2), श्रीमती ईमलाबाई (आ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि रमेश चौधरी को पहचानते हैं। घटना दिनांक 17.12.2008 को रायपुर-सिवनी बस में बैठकर रायपुर से मोहगांव आ रहे थे। दोपहर 3:00 बजे सलघट-गर्राटोला के बीच डम्पर क्रमांक सी.जी. 07 सी. 7728 के चालक गिरजाप्रसाद ने डम्पर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और बस को सामने से ठोस मार दिया था, बस क्षतिग्रस्त

हो गई थी, डम्पर पर बैठे रमेश चौधरी को सिर में गंभीर चोट आयी, बायीं आंख के उपर माथे, सीने एवं सिर में चोट आयी थी, मलाजखण्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बस में बैठी सवारी को भी चोट आयी थी।

13. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर **वादप्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित** पाया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

14. रमेश चौधरी (आ.सा.1) ने प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 23 तक के दस्तावेजों को प्रदर्श अर्कित कराया है जिनमें किसी भी सक्षम चिकित्सक साक्षी का स्थायी अपंगता बाबद प्रमाण पत्र नहीं है और निःशक्तता का प्रतिशत बाबद दस्तावेज पेश नहीं है और न ही ऐसी किसी चिकित्सक साक्षी के कथन आवेदक के द्वारा कराए गए हैं।

15. आवेदक स्वयं ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 4 में साक्ष्य दी है कि उसकी दाहिनी आंख पर और आंख के उपर चोट के कारण दाहिनी आंख से दिखाई नहीं देता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से आंख का उपचार कराया है, किंतु आंख ठीक नहीं हुई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, के संबंध में चिकित्सक साक्षी के कथन नहीं है और न ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आवेदक के दाहिनी आंख की रौशनी/देखने की क्षमता समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं है। इस प्रकार आंख से अपंग होना प्रमाणित नहीं है।

16. आवेदक ने अपनी 5 पसलियां दुर्घटना में भंग होना कथन किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में इंकार किया है कि उसकी पसली में आयी चोट ठीक हो चुकी है। अभिलेख पर पेश आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एक्स-रे प्लेट है, के आधार पर एक्स-रे रिपोर्ट अभिलेख पर पेश नहीं की गई है, किंतु प्र.ए. 6 मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप में दाहिनी तरफ की सरल क्रमांक 8 से 11 की रिब में अस्थिभंग होना लेख है। प्र.ए. 6 के दस्तावेज के आधार पर लगतार 4 रिब में भंग हो जाने से आवेदक की कार्यक्षमता में कमी आना स्वभाविक है किंतु स्थायी

अपंगता दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तथा चिकित्सक साक्षी के कथन के अभाव में प्रमाणित नहीं है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित नहीं है।**

वादप्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

17. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में **वाद प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं है।**

वादप्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

18. रमेश (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि वह दुर्घटना के दो माह पूर्व से सी.जी. 07 सी. 7728 में कुली/हमाल का काम करता था। अना.क्र. 2 उसे 6,000/-रुपए मासिक वेतन प्रदान करता था। इस संबंध में अना.क्र. 1 व 2 के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अखंडनीय साक्ष्य है। लक्ष्मीप्रसाद चौधरी (आ.सा.2) तथा ईमलाबाई (आ.सा.3) ने भी दुर्घटना के समय आवेदक उक्त डम्पर में था कथन दिया है किंतु आय के संबंध में लक्ष्मीप्रसाद (आ.सा. 2) ने प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य दी है कि आवेदक रमेश 200/-रोज डम्पर में काम करके कमाता था। वह 6000/-रुपए महीना प्राप्त करता था। उक्त साक्ष्य का अभिलेख पर खण्डन नहीं है। दुर्घटना के पूर्व वह 6000/-रुपए मासिक दुर्घटनाग्रस्त उक्त वाहन पर काम करके आय अर्जित करता था।

19. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। कथन में आवेदक रमेश ने साक्ष्य दी है कि दुर्घटना के पूर्व वह उसके परिवार का पालन पोषण 6000/-रुपए आय अर्जित कर करता था। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण, अस्थियां टूट जाने के कारण अब वह ट्रक पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य नहीं कर पा रहा है जिससे उसे आय की क्षति हो रही है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक भारी वजन उठाने का कार्य नहीं कर सकता किंतु हल्का कार्य कर सकता है। आवेदक को 100/-रुपए प्रतिदिन की हानि होना ज्यूडिशियल नोटिस

के आधार पर आंकी जाती है जो **2500/-रुपए मासिक** होती है। आवेदक की दुर्घटना दिनांक को आयु 32 वर्ष लेख होने से 16 का गुणांक प्रभावशील है। $(2500 \times 12 \times 16) = 4,80,000/-$ रुपए निर्धारित की जाती है।

20. आवेदक ने प्र.ए. 23 की रसीद पेश कर **3082/-रुपया** मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में अदा करना प्रमाणित किया है। आवेदक उपचाराधीन रहा है इसलिए शारीरिक मानसिक कष्ट के मद में उसे **5,000/-रुपए**, पौष्टिक आहार के मद में **2,000/-रुपए** निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार कुल $(480000 + 3082 + 5000 + 2000) = 4,90,082/-$ रुपए निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 4 निराकृत** किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 5 सहायता एवं व्यय :-

21. मोटर दुर्घटना दावा में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्वावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

{अ} आवेदक रमेश को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल , **4,90,082/-रुपए { चार लाख नब्बे हजार बयासी}** रुपए, अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएंगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने की अधिकारी है।

{ब} आवेदक रमेश चौधरी को प्राप्त होने वाली राशि **490082/- रुपए** में से **480,000/-रुपए {चार लाख अस्सी हजार रुपए}** की आवेदक की मृत्यु पर्यन्त तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रसीद बनाई जावे जिसका त्रै-मासिक ब्याज आवेदक प्राप्त कर स्वयं का और परिवार का पालन-पोषण करेगा। आवेदक की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारसान सक्षम न्यायालय के आदेश से उक्त राशि को प्राप्त करेंगे शेष राशि **10,082/- {दस हजार ब्यासी रुपए}** एवं प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि आवेदक रमेश के बचत खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

{स} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{द} अधिवक्ता शुल्क 1100/-रुपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अना.क. 1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	10.00	-	30.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100-00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1135.00	1110.00	1140.00

सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर